

राजस्थान सरकार
समेकित बाल विकास सेवाएँ
2 जलपथ, गांधी नगर, जयपुर

क्रमांक एफ.11(3)(10)मो./ICDS/2017/ 123156 - 416

तिथि/दिनांक 30-2-2017

आदेश

विभाग में कार्यरत मानदेय सेवा के कार्मिकों के द्वयन करने, हठाने एवं अदकाश आदि अन्य विविध मानकों की प्रक्रिया के सम्बन्ध में जारी परिपत्र क्रमांक 150819 दिनांक 9-11-2016 के विन्दु संख्या 7 में "मानदेय कार्मिकों को देय अवकाश" के अतिरिक्त निम्नानुसार ग्रीष्मकालीन एवं शीतकालीन अवकाश भी देय होगा :-

1 अवकाश की अवधि

- आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा-सहयोगिनी तथा निम्नी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता प्रत्येक को प्रतिवर्ष 10 दिवस का ग्रीष्मकालीन व 10 दिवस का शीतकालीन अवकाश देय होगा।
- ग्रीष्मकालीन अवकाश 1 से 30 जून की अवधि में देय होगा।
- शीतकालीन अवकाश 1 से 31 दिसंबर की अवधि में देय होगा।

2 अवकाश के लिए आवेदन प्रक्रिया

- मानदेयकर्मियों द्वारा 15 मई तक ग्रीष्मकालीन एवं 15 नवम्बर तक शीतकालीन अवकाश के लिए पर्यवेक्षक के माध्यम से बाल विकास परियोजना अधिकारी को आवेदन किया जायेगा।
- आवेदन करते समय मानदेयकर्मी यह ध्यान रखें कि किसी केन्द्र से समान अवधि में एक से अधिक मानदेय कार्मिकों द्वारा अवकाश न भांने जावें।
- बाल विकास परियोजना अधिकारी 20 मई तक ग्रीष्मकालीन अवकाश तथा 25 नवम्बर तक शीतकालीन अवकाश की स्वीकृति के आदेश जारी कर संवेदित मानदेयकर्मियों को सूचित करेंगे।
- ग्रीष्मकालीन एवं शीतकालीन अवकाश किसी अन्य प्रकृति के अवकाश जैसे नातृत्व/गर्भपात्र अवकाश, आकर्षितक अवकाश के साथ जोड़कर नहीं लिए जा सकते हैं।
- मानदेय कार्मिकों को देय राजकीय /जिला कलेक्टर द्वारा घोषित स्थानीय अवकाश उक्त 10 दिवस की अवधि के मध्य पड़ने पर उक्त अवकाश की गणना 10 दिवस के अवकाश में ही की जाएगी।

3 विशेष ध्यान देने योग्य निर्देश/ प्रक्रिया

- किसी केन्द्र की कार्यकर्ता/सहायिका/आशा सहयोगिनी/निम्नी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को अवकाश स्वीकृत करते समय पर्यवेक्षक/ बाल विकास परियोजना अधिकारी आवश्यक सूप से यह सुनिश्चित करेंगे कि मानदेयकर्मी के अवकाश पर ज्ञाने के कारण आंगनबाड़ी केन्द्र संचालन किसी भी रूप में बोधित न हो।
- अवकाश पर रहने वाले मानदेय कार्मिक का कार्य केन्द्र पर उपस्थित अन्य मानदेय कार्मिकों द्वारा संसाधित किया जाएगा, जिसके लिए किसी भी मानदेय कार्मिक को पृथक से किसी प्रकार का मुश्कान नहीं किया जाएगा।
- निम्नी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को अवकाश स्वीकृत करने की स्थिति में निम्नी आंगनबाड़ी केन्द्र के संचालन हेतु निकटतम केन्द्र की कार्यकर्ता/ सहायिका/आशा-सहयोगिनी को पर्यवेक्षक/ बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा निर्देशित किया जाएगा।

बाल विकास परियोजना अधिकारी ग्रीष्मकालीन व शीतकालीन अवकाश के लिए निर्धारित 30 दिवस की अवधि में प्रत्येक मानदेयकर्मी को 10-10 दिवस के अवकाश को आवश्यकता एवं मांग अनुसार परिवर्तित करने वाले आकर्षितक तथा आपातकालीन परिस्थिति में अवकाश स्वीकृत को संतोषित अथवा निरस्त भी कर सकेंगे।

(P.N)
(कुमी राणी)
निदेशक

समेकित बाल विकास सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

(2)

राजस्थान 11(3)(10)मो./ ICDS/2015 123156-416

जन्ममुद्रितिका 30.8.2017

प्रतिलिपि निम्न की सूचनाएँ एवं आवश्यक वार्ताएँ हेतु प्रयुक्त हैं-

1. विशिष्ट भाषायक, माननीय मंत्री भहोदय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
 2. विशिष्ट साहायक, माननीय मंत्री भहोदय पंथायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान जयपुर।
 3. विशिष्ट साहायक, माननीय मंत्री भहोदय, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
 4. सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, शासी नदन, नई दिल्ली।
 5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान जयपुर।
 6. निजी सचिव, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, सचिवालय, जयपुर।
 7. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं पक्ष, एवं विश्व निदेशक, राजस्थान जयपुर।
 8. निजी सचिव, शासन सचिव, पंथायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान जयपुर।
 9. आयुक्त, पंथायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान जयपुर।
 10. निजी सचिव, निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, जयपुर।
 11. निदेशक-भारतीय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।
 12. समस्त जिला कलेक्टर।
 13. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद।
 14. समस्त मुख्य विकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।
 15. समस्त एवं निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग।
 16. समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी, समेकित बाल विकास उंडवा।
- उप निदेशक / एसीपी, कम्युटरसेल, जार्डनीटीएस लो विकारीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

१०/१०
विविरिक्त निदेशक (अई)
समेकित बाल विकास सेवा
राजस्थान, जयपुर

www.rajteachers.com